जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – यातायात पुलिस **दिनांक – 27.11.2024**

यातायात माह नवम्बर – 2024 के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में यातायात निदेशालय द्वारा आयोजित यातायात माह के तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जनपद में बड़े पैमाने पर वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

वाहनों की चेकिंग एवं चालान –

कुल 850 वाहनों का चालान किया गया।

22,500/- रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।

उल्लंघन एवं कार्यवाही –

सडक किनारे अवैध रूप से खडे वाहन – 25 ट्रक एवं अन्य वाहनों का चालान

क्षमता से अधिक वजन भरकर गन्ना ढुलाई करने वाले – 02 ट्रक सीज

अधिक गति (ओवर स्पीडिंग) – स्पीड रडार का प्रयोग करते हुए 45 वाहनों का चालान

दुपहिया वाहनों का अनाधिकृत प्रयोग – 04 वाहनों का चालान

सड़क सुरक्षा उपाय –

कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गयी।

उद्देश्य –

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगाना, दुर्घटनाओं को कम करना और वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान पूरे नवंबर माह के दौरान जारी रहेगा।

यातायात पुलिस द्वारा की जा रही इस कार्यवाही से सड़क सुरक्षा में सुधार होने और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है।

PUBLIC
CARRIER
TATA

CARRIER

TECNO
TECNO
J.K
TAILOR
Stop

प्रेस नोट–जनपद बिजनौर दिनॉक 27.11.2024

थाना अफजलगढ पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा गैगंस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/– रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2022 को अभियुक्तगण 1.हैदर पुत्र सरताज निवासी मौ0 विजयनगर थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड) 2.रहमान पुत्र जीशान उर्फ गुड्डू निवासी मौ0 अली खां थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड) के विरूद्ध थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 83/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.11.2024 को माननीय न्यायालय ऐ0डी0जे0–06/गैंगस्टर अधि0, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त हैदर पुत्र सरताज निवासी मौ0 विजयनगर थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड) को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः–

1. हैदर पुत्र सरताज निवासी मौ0 विजयनगर थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड)

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 27.11.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 18.06.2012 को वादी श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्तगण 1.सूरजा पुत्र श्रीराम 2.बब्लू पुत्र श्रीराम निवासीगण ग्राम ज्ञानपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर आदि कुल 03 नफर के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर आम जनता से भौतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन उपार्जित कर भय व आतंक व्याप्त करने के सम्बंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 299/12 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.11.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / गैंगस्टर एक्ट कोर्ट नं0–06, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्तगण 1.सूरजा पुत्र श्रीराम 2.बब्लू पुत्र श्रीराम निवासीगण ग्राम ज्ञानपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

1.सूरजा पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम ज्ञानपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर

2.बब्लू पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम ज्ञानपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 27.11.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.11.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	हल्दौर	मौ0 इफ्तखार पुत्र मुख्तियार निवासी पैजनिया निकट हनुमान मन्दिर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2	किरतपुर	अंकित पुत्र समर निवासी ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3	नूरपुर	सचिन पुत्र भूरिया उर्फ अमर सिंह निवासी ग्राम मुस्सेपुर थाना नूरपुर बिजनौर
4	नूरपुर	सोहित कुमार पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम मुस्सेपुर थाना नूरपुर बिजनौर
5	नूरपुर	मौ0 शाकिर पुत्र मौ0 हनीफ निवासी ग्राम हसुपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6	बढापुर	जाहिद पुत्र सवदर हुसैन नि0 मौ0 पक्का तालाब कस्बा व थाना बढापुर बिजनौर

थाना हल्दौर

थाना किरतपुर

थाना नूरपुर

थाना बढापुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर दिनॉक 27.11.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 26.11.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अयान पुत्र इरफान निवासी मौ0 भट्टा हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया ।

इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 461/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1– अयान पुत्र इरफान निवासी मौ0 भट्टा हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1– एक चाकू नाजायज।

आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0स0 263/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 461/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2–का0 1287 नीरज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3–का0 1886 अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना स्योहारा दिनॉक 27.11.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 471/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61 बीएनएस में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.09.2024 को वादिनी श्रीमति महेन्द्री देवी पत्नी नजर सिंह निवासी ग्राम अमीनाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. रगवीरी देवी पत्नी रामकरण 2.जगवीर पुत्र चन्द्रपाल सिंह 3.अरूण कुमार पुत्र रामकरण नि0गण ग्राम अमीनाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा एकराय होकर षडयंत्र रचकर धोखाधडी कर वादिनी को बेजी गयी जमीन का पुनः अन्य व्यक्ति को बैनामा करा दिया गया।

तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 471/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 27.11.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 471/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61 बीएनएस में वांछित अभियुक्ता रगवीरी देवी पत्नी रामकरण निवासी ग्राम अमीनाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

1– रगवीरी देवी पत्नी रामकरण निवासी ग्राम अमीनाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2–म0का0 147 परवीन कुमारी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद दिनॉक 27.11.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 27.11.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम इस्सेपुर के जंगल से अभियुक्त परमजीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम इस्सेपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को करीब 25 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया तथा मौके से करीब 205 लीटर लहन को नष्ट किया गया।

इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 572/24 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1– परमजीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम इस्सेपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1– 25 लीटर कच्ची शराब दो प्लास्टिक की बाल्टी में, 01 ड्रम प्लास्टिक, एक गैस सिलेन्डर भारत गैस मय पाइप, गैस चुल्हा, रेगुलेटर, एक ड्रम लोहा मय भट्टी मय एक सिल्वर का पतीला जिसमे पाइप लगा हुआ है, 02 प्लास्टिक के मग, 01 इलैक्ट्रोनिक लैम्प (शराब बनाने के उपकरण) व करीब 205 लीटर लहन ।

आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0स0 477/2016 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0स0 653/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0स0 042/2022 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4.मु0अ0स0 572/2024 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 मौ0 कय्यूम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2–हे0का0 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3–का0 2086 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4–का0 210 अशोक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।